राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1923/2013 पदम सक्सेना	1. आयुक्त, पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. जिला परिषद, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर। 3. पंचायत समिति, आमेर जरिये विकास अधिकारी, आमेर जयपुर।	31.12.2013	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता
2.	1925/2013 भगवत शरण			

आदेश की दिनांक : 01.11.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1923/2013 पदम सक्सेना बनाम आयुक्त, पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य सूची दिनांक 12.02.2013 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के संबंध में वन विभाग में उसकी अर्द्धस्थायी तिथि से वरिष्ठता का सही निर्धारण करते हुए अपीलार्थी का नाम उचित स्थान पर निर्धारित किया जावे एवं अपीलार्थी को पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर सही निर्धारण के तहत पदोन्नत किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति क्लेरिकल कैडर में वर्कचार्ज आधार पर मुंशी के पद पर दिनांक 01.04.1987 को वन विभाग में हुई थी। वर्कचार्ज नियमों के प्रावधनानुसार उसे दिनांक 01.04.1989 से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया और 10 वर्ष पश्चात् उसे आदेश दिनांक 30.03.1998 से स्थायी घोषित किया गया। अपीलार्थी दिनांक 01.04.1997 से वन विभाग में नियमित कर्मचारी था और उसे पंचायती राज के आदेश दिनांक

27.05.2000 के द्वारा ग्राम सेवक के पद पर समायोजित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 15.12.2012 के द्वारा अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई और आदेश दिनांक 24.12.2012 के द्वारा आपत्तियां मांगी गई। आपत्तियों के क्रम में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करने हेतु निवेदन किया, परंतु विभाग द्वारा उसकी वरिष्ठता दिनांक 13.06.2000 से की गई और दिनांक 12.02.2013 को वर्ष 2012–13 तक की ग्राम सेवक की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 5300 पर अंकित किया गया। उनका कथन है कि उक्त वरिष्ठता सूची विभाग द्वारा नियम विरूद्ध जारी की गई है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण का ध्यान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1477/1990 भंवरलाल मालाकर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.11.1990 की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अर्द्धस्थायी घोषित तिथि से सेवा अवधि की गणना वरिष्ठता निर्धारण में किया जाना उचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य सूची दिनांक 12.02.2013 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के संबंध में वन विभाग में उसकी अर्द्धस्थायी तिथि से वरिष्ठता का सही निर्धारण करते हुए अपीलार्थी का नाम उचित स्थान पर निर्धारित किया जावे एवं अपीलार्थी को पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर सही निर्धारण के तहत पदोन्नत किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हुए ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर दिनांक 08.06.2000 को कार्यभार ग्रहण किया और अपीलार्थी पंचायती राज विभाग के नियंत्रण में कार्यरत है और अपीलार्थी की वरिष्ठता का निर्धारण दिनांक 08.06.2000 से किया गया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत है। अपीलार्थी की वरिष्ठता समायोजन पर कार्यभार ग्रहण तिथि से ही प्रभावी और देय है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति क्लेरिकल कैडर में वर्कचार्ज आधार पर मुंशी के पद पर दिनांक 01.04.1987 को वन विभाग में हुई थी। वर्कचार्ज नियमों के प्रावधनानुसार उन्हें दिनांक 01.04.1989 से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया और 10 वर्ष पश्चात् उन्हें आदेश दिनांक 30.03.1998 से स्थायी घोषित किया गया। अपीलार्थीगण दिनांक 01.04.1997 से वन विभाग में नियमित कर्मचारी थे और उन्हें पंचायती राज के आदेश दिनांक 27.05.2000 के द्वारा ग्राम सेवक के पद पर समायोजित कर दिया गया। विभाग द्वारा अपीलार्थीगण की वरिष्ठता दिनांक 13.06.2000 से की गई और दिनांक 12.02.2013 को वर्ष 2012–13 तक की ग्राम सेवक की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गई। जहां तक दिनांक 13.06.2000 से सेवा अवधि की गणना करते हुए अपीलार्थीगण की वरिष्ठता का निर्धारण किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में आदेश दिनांक 30.03.1998 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की अर्द्धस्थायीकरण की दिनांक 01.04.1989 है और दिनांक 31.12.1997 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि 01.04.1997 दर्शायी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण को दिनांक 01.04.1989 से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3620/2009 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित आदेश दिनांक 08.05.2009 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी कर्मचारी को उसकी नियमित नियुक्ति तिथी से सेवा की गणना करके ही चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में अपीलार्थीगण की अर्द्ध स्थाई घोषित होने की तिथी से ही नियमित नियुक्ति मानी जावेगी और उस तिथी से ही सेवा की गणना करके वह चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के क्रम में वित्त विभाग ने चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में दिनांक 29.08.2009 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, इसके बाद में दिनांक 20.08.2010 को निम्नानुसार आदेश पारित किये :–

> *"Accordingly, the State Government has reconsidered the matter and in partial modification of order of even number dated 29.06.2009, the Governor is pleased to order that in cases where Government servants have been granted selection grade prior to order dated 29.06.2009 by counting period of ad-hoc service, such cases may not be reviewed. However, where additional selection grades become admissible to such employees after 29.06.2009 under the rules, this shall be granted by excluding the period of ad-hoc service as per the orders of Hon'ble Supreme Court. For example, if any employee got the advantage of first selection grade prior to*

29.06.2009, on completion of service of 9 years (after inclusion of say, three years' ad hoc service), his next selection grade on completion of service of 18 years, on or after 29.06.2009, shall be granted only after three years of ad-hoc service is added to 18 years i.e. 18+3 = 21 years.

All pending cases would be decided as per these orders.

The cases of grant of selection grade decided subsequent to order of even number dated 29.06.2009, may be reviewed and revised in accordance with the provisions of this order. Similarly pension cases of Government servants, finalized after re-fixation of pay under order dated 29.06.2009, may also be reviewed and revised. However cases of persons who retired prior to 29.06.2009 would not be re-opened."

वित्त विभाग के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 20.08.2010 के अनुसार पूर्व में तय मामलों को पुनः नहीं खोला जाना था अपितु दिनांक 29.06.2009 के बाद देय चयनित वेतनमान नियमित नियुक्ति तिथी से सेवा की गणना करके ही स्वीकृत किया जाना है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की सेवा अवधि की गणना अर्द्धस्थायी घोषित तिथि से किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि अपीलार्थीगण को पूर्व में वर्कचार्ज आधार पर पदस्थापित किया गया और 2 वर्ष पश्चात् उन्हें अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती हैं तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वर्कचार्ज सेवा नियम एवं न्यायिक दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीगण की सेवा अवधि की गणना उनके अर्द्धस्थायी घोषित तिथि से करते हुए उनकी वरिष्ठता का सही निर्धारण किया जावे और यदि अपीलार्थीगण पदोन्नति हेतु योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें अग्रिम पद पर नियमानुसार पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 1923/2013 पदम सक्सेना बनाम आयुक्त, पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 1925/2013 भगवत शरण में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य